संचिका संख्या– 3/9–आपदा/NDMA /प्रा0–03/2020......................./प्राधि0

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल, पटना–1

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से संचालित कार्यक्रम अपस्केलिंग 'आपदा मित्र' कार्यक्रम के तहत चिन्हित जिलों के सामुदायिक वालंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वालिंटियर हेतु "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" क्रय की जानी है "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" (ERK) के अनुसार निम्न सारणी में वर्णित सामग्री प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध कराने के लिए अनुभवी संस्थानों/अभिकर्त्ताओं से प्रति यूनिट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है–

S.No	Items	Quantity (for each kit)	EMD	Tender Validity
1	Personal Floatation Device (Life Jacket made of polyurethane foam)	1	Along with the Technical Bid (Envelope-I), the bidder shall have to submit a refundable Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) in the form of a Demand Draft drawn from a scheduled Bank/Nationalized Bank in favour of **"Bihar State Disaster Management Authority"** payable at **Patna** failing which the Bids submitted by the Bidder shall be out-rightly rejected.	31.03.2024
2	Torch or emergency light (Solar enabled)	1		
3	Safety gloves (Canvas/leather)	1 pair		
4	Pocket Knife	1		
5	Mosquito Net	1		
6	Gas Lighter	1		
7	Whistle	1		
8	Water Bottle	1		
9	RUCKSACK Bag	1each		
10.	Uniform Dress with NDMA and SDMA/ DDMA logo	2 Sets (Track suit, Half Paint& T-shirt with logo)		
11.	Sport shoes	1pair		
12.	Safety Vest & Goggles	1		
13.	Safety Helmet (Water rafting)	1		
14.	Rappelling Rope 6mm (in 10 meter length)	1		
15.	**First Aid Kit**			
(i)	Bandages (inpkt.)	1set		
(ii)	Scissors (small)	1		
(iii)	Hick Digital Thermometer	1		
(iv)	Betadine 100ml	1		
(v)	Burnol Ointment	1		
(vi)	Painkiller cream	1		
(vii)	ORS Powder	1		
16	I-Card	1		
17	Certificate	1		
18	**Stationary**	1		
(i)	Pen	1		
(ii)	Pad	1		
(iii)	Bag	1		
(iv)	Prize Trophy	1		
	(a) First Prize	1		
	(b) Second Prize	1		
	(c) Third Prize	1		

नियम एवं शर्तेः–

1. सभी संस्थानों/ अभिकर्त्ताओं को वाणिज्य कर/ आयकर निबंधित होने से संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा में अंकित सभी सामग्री (items) का दर एवं जी.एस.टी. उद्धृत करना होगा।
3. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आयकर क्लीयरेंस होना चाहिए।
4. सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड की होनी आवश्यक है। सामग्री के नमूने एवं गुणवत्ता आदि विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी।
5. सभी उत्पाद / उपकरण की कम से कम 01 वर्ष की वारन्टी होनी चाहिए।
6. क्रय किए जाने वाले किट से संबंधित सामग्री की वास्तविक संख्या समिति के द्वारा कम या अधिक उपलब्ध बजट के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के पश्चात की जाएगी।
7. क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच समिति द्वारा की जाएगी। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम रुप से स्वीकार करना होगा।
8. निविदादाता को केंद्रीय व राज्य सरकार संस्था द्वारा काली सूची में ना होने के आशय का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
9. तकनीकी निविदा खुलने के समय "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" के साथ उपलब्ध कराई जा रही सामग्री / उपकरण का प्रदर्शन ''आन्तरिक क्रय समिति'' के सम्मुख आवश्यकतानुसार करना होगा एंव एक प्रति नमूना के रूप में रखी जायेगी जिसपर निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मोहर होना अनिवार्य होगा।
10. "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" की आपूर्ति आदेश निर्गत होने के उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व, प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. आपूर्तिकर्ता फर्म / अधिकृत विक्रेता को उक्त सामग्री स्वयं के व्यय पर आपूर्ति (F.O.R.) के अनुसार करना होगा। आपूर्ति नियम विशिष्टियों व गुणवत्ता के अनुसार ना पाए जाने पर आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर अपना सामान वापस ले जाना होगा।
12. सभी निविदाएं **दिनांक 08.05.2023 को अप0 03:00 बजे** तक हीं रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर अथवा हाथों–हाथ सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001 में स्वीकार की जायेंगी। नियत तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदायें स्वीकार्य नहीं की जायेगी और न ही निविदा समिति द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जायेगा। डाक प्रेषण में विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त क्रय की जानी वाली किट की मात्रा में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) द्विनिविदा प्रणाली के अधीन होगी।
    - (a) तकनीकी निविदायें जिसमें व्यापारिक शर्ते और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हों।
    - (b) वित्तीय निविदा में एक सामग्री हेतु एक ही दर अंकित किया जाय। एक ही सामग्री हेतु एक से अधिक दरें अंकित किये जाने पर उक्त सामग्री हेतु फर्म द्वारा दिये गये दरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय निविदा में सामग्री की दरें अंकों एवं शब्दों में दी जाये।
    - (c) तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग लिफाफों में सीलकर (लिफाफे पर अंकित हो कि लिफाफा तकनीकी है अथवा वित्तीय) दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलकर प्रस्तुत करनी होगी। सीलबन्द लिफाफे के बाहर "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट हेतु निविदा" अंकित करना अनिवार्य होगा।
    - (d) सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी तथा तकनीकी निविदा में सफल एजेंसियों का हीं नमूने उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् हीं वित्तीय निविदा का खोली जायेगी। निविदादाता का तकनीकी निविदा तथा नमूना सही नहीं पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
13. निविदा प्रपत्रों पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

14. तकनीकी बिड खुलने का समय व **दिनांक 08.05.2023 अप0 04:00 बजे** है। प्राप्त निविदायें समिति द्वारा निविदादातों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। वित्तीय निविदा खुलने की तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।
15. निविदा प्रपत्र में मांगे गये सभी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
16. सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्र में सामग्री आपूर्ति के दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यालय पत्रांक सहित) होना वांछनीय है (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)। अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जायेगी।
17. प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
18. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूपेण रद्द करने का अधिकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
19. उपरोक्त सभी कार्य यथानिदेशित उत्तम तरीके से करना होगा अन्यथा भुगतान से इसकी पूर्ण अथवा आंशिक कटौती की जायेगी।
20. निविदा प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsdma.org पर भी देखी जा सकती है।
21. चयनित एजेंसी को सबंधित प्रशिक्षण स्थल पर सामग्रियों को पहुचना होगा।
22. विपत्रों का भुगतान नियमानुसार कटौती (TDS,GST etc) के उपरांत की जाएगी।
23. सामग्री के आपूर्ति कार्यादेश के 10 दिनों के भीतर करना होगा।
24. वित्तिय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिटर्न (ITR) की प्रति संलग्न करना होगा।
25. निविदादाता का 02 वर्ष का वार्षिक औसत टर्न ओवर 50,00000 (पचास लाख) रूपये एवं Balance Sheet संलग्न करना अनिवार्य होगा।
26. जी0एस0टी0 का अद्यतन विवरणी संलग्न करना होगा।
27. जी0एस0टी0 नम्बर एवं पैन नम्बर संलग्न करना होगा।
28. सभी संलग्न कागजातों को निविदादाता द्वारा स्व–अभिप्रमाणित करना होगा।

(मीनेन्द्र कुमार)
सचिव
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।